पत्रांक : 4186 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा

प्रेषक,
अमिताभ वर्मा, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, बिहार।

पटना, दिनांक: 09 / 07 / 2013

विषय: त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बीच समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने एवं बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत संकल्पों में निहित निदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–243जी0 के प्रावधान के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–22, धारा–47 एवं धारा–73 द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को संविधान की अनुसूची–11 में दर्शाये गये 29 मामलों से संबंधित कार्य सौंपे गये हैं। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों ने भी काफी पूर्व में ही इन 29 मामलों से संबंधित कार्यों का प्रतिनिधायन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को करते हुए संकल्प निर्गत किया है।

इन विषयों से संबंधित कार्यों के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य से सभी विभागों द्वारा निर्गत संकल्पों में यह स्पष्ट किया गया है कि इन संस्थाओं द्वारा आहूत बैठकों में इन कार्यों में संलग्न संबंधित स्तर के पदाधिकारीगण निश्चित रूप से भाग लेंगे एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे। परन्तु, ऐसी शिकायतें बराबर प्राप्त हो रही हैं कि बगैर किसी ठोस कारण के भी अनेक पदाधिकारी/ कर्मचारीगण द्वारा इन बैठकों में भाग नहीं लिया जाता है एवं मुख्यालय छोड़ने के पहले सूचना भी नही दी जाती है। इतने सशक्त प्रावधानों एवं सरकार के स्पष्ट निदेशों के बावजूद भी पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन संस्थाओं को प्रतिनिधानित कार्यों के संपादन में सहयोग नहीं करना या इनके द्वारा आयोजित बैठकों मे भाग नही लेना अत्यंत खेदजनक तो है ही, यह अनुशासनहीनता एवं निदेशों की अवहेलना है जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

इस विषय पर आपका ध्यान अधिनियम, 2006 की धारा–46(14) एवं 72(11) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिनमें क्रमशः पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को यह शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं कि वे अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। यह भी प्रावधानित है कि यदि जिला परिषद्/पंचायत समिति को ऐसा प्रतीत हो कि जिला के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखने वाला कोई सरकारी पदाधिकारी जो जिला परिषद्/पंचायत समिति के अधीन कार्यरत न हो और जिला परिषद्/पंचायत समिति की बैठक मे उसकी उपस्थिति वांछनीय है तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी आशयित बैठक की तिथि से 15 दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने मे यदि असमर्थ न हो तो बैठक में उपस्थित होगा। यदि किसी कारण वह स्वयं उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उप–पदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उक्त बैठक मे प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा।

आपकी सुविधा के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कार्यों एवं शक्तियों के प्रतिनिधायन संबंधी निर्गत संकल्पों के आधार पर उन पदाधिकारियों, जिन्हें त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना है, की सूची तथा पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ इन पंचायतों द्वारा समन्वय कर उनसे सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए निर्गत निदेशों को संकलित कर संलग्न किया जा रहा है (अनुलग्नक–1, 2 एवं 3)।

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इन निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कारगर कार्रवाई करने की कृपा करें। इस क्रम में निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:

(i) अपने स्तर से जिला में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त निदेश दें कि वे जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पचायत के कार्यों में पूर्ण सहयोग करें, इनके द्वारा आयोजित बैठकों में निश्चित रूप से स्वय भाग लें, किसी अपरिहार्य स्थिति में ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु भेजें एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ें।

(ii) इन सस्थाओं, कम से कम जिला परिषद् एवं पंचायत समिति, की गत् एक वर्ष की बैठकों की उपस्थिति पंजी मँगाकर देखें कि इन बैठकों में किन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति कम है। वैसे पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार चेतावनी देते हुए उन्हें आगामी बैठकों में भाग लेने हेतु निदेशित करते हुए पत्र की प्रति उनके प्रशासी विभाग को भी दें।

(iii) अपने स्तर पर इन बैठकों में कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा समय–समय पर करने की व्यवस्था स्थापित करें।

(iv) वैसे अनुशासनहीन पदाधिकारी/कर्मचारी, जो बगैर पर्याप्त कारण के बैठक में भाग नहीं लेते हैं या बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति से मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करें।

आशा है कि इन संस्थाओं को प्रतिनिधानित विषयों से संबंधित विकास एवं अन्य कार्यों के सफल सम्पादन हेतु विभागों द्वारा निर्गत निदेशों की महत्ता को समझते हुए आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में सभी विभाग के संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होते हैं।

विश्वासभाजन,

9/7/13

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 4186 पटना, दिनांक 09 / 07 / 2013

प्रतिलिपि:– (1) सभी जिला परिषद् के अध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि बैठकों की सूचना सभी पदाधिकारियों को बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि पदाधिकारियों को बैठकों में भाग लेने में सुविधा हो।

(2) सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जिला के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी को इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से यह अनुरोध करें कि वे अपने स्तर से इसकी प्रतिलिपि अपने क्षेत्र अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9/7/13

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना